

समरी प्र.क.179 / 2022
राज्य विरुद्ध मंगलीबाई
फाईलिंग नं."SUM/2197/2022"
सी.एन.आर. नं."एम.पी.05070015522022"

:: निर्णय ::

(आज दिनांक 18.10.2022 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1-अ) के अंतर्गत अपराध के आरोप लगाये गये हैं।

2— आरोपी ने आरोपित अपराध स्वेच्छयापूर्वक करना स्वीकार किया है। आरोपी के द्वारा की गई स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है एवं प्रकरण में अन्य कोई प्रतिकूलता न होने से आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1-अ) के अंतर्गत आरोपित अपराध के आरोप में न्यायालय उठने तक की अवधि के कारावास एवं 700/-रुपये (सात सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। आरोपी के द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर उसे 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

3— प्रकरण में जप्तशुदा 05 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची महुआ मदिरा मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

दिनांक:-18.10.2022

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

स्थान :-सिवनीमालवा।

(साहंगी दुग्गल)	(साहंगी दुग्गल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिवनीमालवा, जिला नर्मदापुरम् (म.प्र.)	सिवनीमालवा, जिला नर्मदापुरम् (म.प्र.)

